मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 27/9/2018

क्रमांक एफ 15–02/2018/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ज्ञाप दिनांक ज्ञाप दिनांक 09 फरवरी 2005 एवं 16/09/2005 द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत् संविदाधीन कर्मचारियों की सेवाएं निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

2/– मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी–5–2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 द्वारा संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदो पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु नीति–निर्देश जारी किये गये है। परिपत्र की कंडिका 1.14.5 में प्रावधानित है कि – संविदा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक, समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत निर्धारित किया जाए।

3/– मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के यू.ओ. नोट क्रमांक 575/आर–657/बी–6/18 दिनांक 05.09.2018 द्वारा अभिमत दिया गया है कि – सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05.06.2018 अनुसार संविदा कर्मचारियों को मासिक परिश्रमिक समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनत्म का 90 प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है।

4/– राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में विभाग अन्तर्गत राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत् संविदा पर कार्यरत 17 नॉन मेडिकल सुपरवाईजर, 202 नॉन मेडिकल असिस्टेंट, एवं 8 लिपिक (सहायक ग्रेड–3) को तालिका में दर्शित कॉलम (5) अनुसार संविदा मासिक वेतन स्वीकृत किया जाता है।

क्र.	संविदा पदनाम	भर्ती नियमों में समकक्ष पद का प्रावधानित नियमित वेतनमान	वर्तमान में प्रचलित सातवे वेतनमान में न्यूनत्म मासिक वेतन	सा.प्र.वि. द्वारा जारी परिपत्र दि. 05.06.2018 की कंडिका 1.14.5 अनुसार न्यूनतम् का 90 प्रतिशत (मासिक पारिश्रमिक/संविदा वेतन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नॉन मेडिकल सुपरवाईजर	5200–20200 + 2800 (सातवे वेतनमान में लेवल 7)	28700/–	25830/–
2	नॉन मेडिकल असिस्टेंट	5200–20200 + 2100 (सातवे वेतनमान में लेवल 5)	22100/–	19890/–
3	सहायक ग्रेड–3 (लिपिक)	5200–20200 + 1900 (सातवे वेतनमान में लेवल 4)	19500/–	17550/–

5/– यह स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के यू.ओ. नोट क्रमांक 575/आर–657/बी–6/18 दिनांक 05.09.2018 के अनुसार जारी की जा रही है।

निरंतर – 2

28 SEP 2018

6/ उपरोक्तानुसार समस्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक सी–5–2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 में प्रावधानित नीति–निर्देशों के तहत् शासित होंगे तथा संविदा कर्मचारियों हेतु स्वीकृत संविदा वेतन, आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. कमाक एफ 14–2/2018/17/मेडि–1 **भोपाल, दिनांक 27/09/2018**

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी राज्य मंत्री जी, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
4. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग शाखा बी–6 मंत्रालय भोपाल।
6. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल।
7. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म0प्र0 भोपाल।
8. संचालक, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
9. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0।
10. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म0प्र0।
11. समस्त, जिला कोषालय अधिकारी, म0प्र0।
12. प्रभारी, एम.आई.एस. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 (विभागीय वेब–साईट पर अपलोड हेतु)।
13. स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

//Surjeet// office rel. order

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: **आदेश** ::

भोपाल, दिनांक 27/09/2018

क्रमांक एफ 15-62/2017/सत्रह/मेडि-1 :: राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत** "मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2002 बनाये जाकर उक्त नियमों के अन्तर्गत नियमित पदों के विरूद्ध संविदा पैरामेडिकल कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति प्रदान की गई।

2/- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 द्वारा संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नियमित पदो पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जाने हेतु नीति-निर्देश जारी किये गये है। परिपत्र की कंडिका 1.14.5 में प्रावधानित है कि – संविदा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक, समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत निर्धारित किया जाए।

3/- मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के यू.ओ. नोट क्रमांक 585/आर-636/बी-6 दिनांक 11.09.2018 द्वारा अभिमत दिया गया है कि – सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05.06.2018 अनुसार संविदा कर्मचारियों को मासिक परिश्रमिक समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनत्म का 90 प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है।

4/- राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में विभाग अन्तर्गत "मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2002" के तहत् कार्यरत संविदा पैरामेडिकल कर्मियों, (40 रेडियोग्राफर, 124 लेब टेक्नीशियन, 17 नेत्र सहायक, 171 फार्मासिस्ट ग्रेड-2 तथा 30 ड्रेसर ग्रेड-2) को तालिका में दर्शित कॉलम (5) अनुसार संविदा मासिक वेतन स्वीकृत किया जाता है।

क्र.	संविदा पदनाम	भर्ती नियमों में समकक्ष पद का प्रावधानित नियमित वेतनमान	वर्तमान में प्रचलित सातवे वेतनमान में न्यूनत्म मासिक वेतन	सा.प्र.वि. द्वारा जारी परिपत्र दि. 05.06.2018 की कंडिका 1.14.5 अनुसार न्यूनतम् का 90 प्रतिशत (मासिक परिश्रमिक/संविदा वेतन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रेडियोग्राफर	5200-20200 + 2800 (सातवे वेतनमान में लेवल 7)	28700/-	25830/-
2	लेब टैक्नीशियन	5200-20200 + 2800 (सातवे वेतनमान में लेवल 7)	28700/-	25830/-
3	नेत्र सहायक	5200-20200 + 2800 (सातवे वेतनमान में लेवल 7)	28700/-	25830/-
4	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	5200-20200 + 2400 (सातवे वेतनमान में लेवल 6)	25300/-	22770/-
5	ड्रेसर ग्रेड-2	5200-20200 + 1800 (सातवे वेतनमान में लेवल 3)	18000/-	16200/-

5/- यह स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के यू.ओ. नोट क्रमांक 585/आर-636/बी-6 दिनांक 11.09.2018 के अनुसार जारी की जा रही है।

निरंतर – 2

28 SEP 2018

6/ उपरोक्तानुसार समस्त संविदा कर्मचारी मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक सी–5–2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 में प्रावधानित नीति–निर्देशों के तहत् शासित होंगे तथा संविदा कर्मचारियों हेतु स्वीकृत संविदा वेतन, आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. कमाक एफ 14–2/2017/17/मेडि–1 **भोपाल, दिनांक 27 /09/2018**

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी राज्य मंत्री जी, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
4. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग शाखा बी–6 मंत्रालय भोपाल।
6. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल।
7. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म0प्र0 भोपाल।
8. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0।
9. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म0प्र0।
10. समस्त, जिला कोषालय अधिकारी, म0प्र0।
11. प्रभारी, एम.आई.एस. संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म0प्र0 (विभागीय वेब–साईट पर अपलोड हेतु)।
12. स्टॉक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

AN
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

//Surjeet// office rel. order